रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 168] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 31, 1967/कार्तिक, 9, 1889

No. 168] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 1967/KARTIKA 9, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

संस्ताव

नई दिल्ली, 8 सितम्बर 1967

संख्या 22–पी० एल० ए० 59/67.—श्रम और रोजगार मंत्रालय आज्ञा संख्या 28(92)/64 एल०आर० 4 दिनांक 19 मार्च, 1966 द्वारा भारत सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन एकमात्र सदस्य के रूप में श्री सलीम एम० मर्चेंट से जांच न्यायालय गठित की है और उन्हें निम्न अनुसूची में उल्लिखित मामला सौंपा है :—

अनुसूची

"कलकत्ता पत्तन तथा अन्य बड़े पत्तनों में 'बी' श्रेणी के मजदूरों की नौकरी की शर्तों के बारे में जांच करना और 21 जुलाई, 1958 को भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 में प्रकाशित

पत्तन और गोदी मजदूरों की मांगों पर जांच करने के लिये नियुक्त विशेषाधिकारी की रिपोर्ट पर परिवहन और संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग) में भारत सरकार के संख्या 23-पी०एल०ए० (87)/58 दिनांक 20 जुलाई, 1958 के प्रस्ताव के साथ साथ सरकार को सिफारिश करना कि किस तरह और किस सीमा तक उपरोक्त 'बी' श्रेणी के मजदूरों की नौकरी की शर्तों में सुधार किया जाना चाहिये।"

पत्र संख्या 28(92)/64 एल० आर० 4 दिनांक 15 अप्रैल, 1966 द्वारा श्रम तथा रोजगार मंत्रालय ने न्यायालय द्वारा पूछे एक प्रश्न के उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया था कि जांच का सम्बन्ध कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, विशाखापत्तनम् और कोचीन के पांच बड़े पत्तनों में 'बी' श्रेणी के मजदूरों की सेवाओं की शर्तों से होना चाहिये।

3. बाद में भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 28(92)/64 एल० आर० 4, दिनांक 4 नवम्बर, 1966 द्वारा श्री सलीम एम० मर्चेंट को जांच न्यायालय के एक मात्र सदस्य के रूप में निम्न अनुसूची में उल्लिखित मामले को भी सौंपा :—

अनुसूची

"बड़े पत्तनों की 'सी' श्रेणी के मजदूरों की सेवाओं की शर्तों की जांच करना और भारत के साधारण राजपत्र में 21 जुलाई 1958 को प्रकाशित पत्तन और गोदी कर्मचारियों की मांगों में जांच करने के लिये नियुक्त विशेषाधिकारी की रिपोर्ट पर परिवहन तथा संचार मंत्रालय में भारत सरकार (परिवहन विभाग) संख्या 23 पी०एल०ए० (87)/58 दिनांक 20 जुलाई, 1958 के संस्ताव के साथ साथ सरकार को सिफारिश करना कि किस तरह और किस सीमा तक उपरोक्त 'सी' श्रेणी के कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों में सुधार किया जाना चाहिये।"

4. भारत सरकार को जांच न्यायालय की रिपोर्ट मिल गई है। यह रिपोर्ट भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2 अनुभाग 3 (2) दिनांक 19 अगस्त, 1967 में एस०ओ० 2867 के अन्तर्गत पृष्ठ 1365 से 1423 तक में प्रकाशित हुई है।

5. भारत सरकार ने निश्चय किया है कि जांच न्यायालय की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। इस निश्चय के परिणामस्वरूप भारत में बड़े पत्तनों के 'बी' और 'सी' श्रेणी के कर्मचारियों को निम्न अतिरिक्त रियायतें दी जायेंगी :—

(1) 'बी' श्रेणी कर्मचारियों के लिये उपस्थिति धन :

'बी' श्रेणी के वे कर्मचारी जो काम पर रिपोर्ट करते है परन्तु जिन्हें काम नहीं दिया जाता उन्हें 1 अक्टूबर 1967 से प्रति जुलाई 1.75 रु० का उपस्थिति धन दिया जायेगा। इस उपस्थिति भत्ते की राशि पर अलग से कोई मंहगाई भत्ता नहीं दिया जायेगा।

(2) विशेषाधिकार छुट्टी :

'बी' श्रेणी के कर्मचारियों को प्रति सात दिनों की हाजिरी पर एक दिन की दर से विशेषाधिकार छुट्टी दी जायेगी जो 1 जनवरी 1967 से गिनी जायेगी। छुट्टी की यह दर उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगी जिन्होंने 'बी' श्रेणी में एक वर्ष की नौकरी पूरी कर ली है। यह विशेषाधिकार छुट्टी तीन वर्षों तक की जितनी छुट्टी होगी उस सीमा तक जमा की जा सकेगी।

(3) बीमारी की छुट्टी :

एक वर्ष में 'बी' श्रेणी के कर्मचारियों को आधे वेतन पर चौदह दिनों की बीमारी की छुट्टी या पूरे वेतन पर सात दिनों की बीमारी की छुट्टी दी जायेगी जो 1 जनवरी 1967 से गिनी जायेगी। यह छुट्टी आधे वेतन पर चौरासी दिनों तक या पूर्ण वेतन पर बयालीस दिनों तक जमा की जा सकेगी।

(4) आकस्मिक छुट्टी :

1 जनवरी, 1968 से 'बी' श्रेणी के कर्मचारियों को एक वर्ष में पांच दिनों की आकस्मिक छुट्टी दी जायेगी। यह छुट्टी अधिकार के रूप में नहीं ली जायेगी किन्तु आवश्यक और अदृष्ट परिस्थितियों में ली जा सकेगी। आकस्मिक छुट्टी जमा नहीं की जा सकेगी।

(5) सवेतन छुट्टियां (हालीडे) :

एक वर्ष में 'बी' और 'सी' श्रेणी के कर्मचारियों को पांच सवेतन छुट्टियां दी जायेंगी जिनमें से तीन राष्ट्रीय छुट्टियां, अर्थात् गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस और महात्मा गांधी जन्म दिवस होंगी। अन्य दो छुट्टियां पत्तन प्रशासन द्वारा यूनियनों से सलाह कर तय की जायेंगी किन्तु अन्ततः उन्हीं के विचार पर, स्थानीय त्योहारों के महत्व पर निर्भर करेंगी। ये 1 अक्टूबर, 1967 से चालू होंगी।

(6) ग्रेचुटी :

1 अक्टूबर, 1967 से 'बी' श्रेणी के कर्मचारियों पर बम्बई पोर्ट टर्मिनल बेनिफिट (अस्थायी सेवा) नियम के अन्तर्गत अपने अस्थायी कर्मचारियों के लिये बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ग्रेचुटी स्कीम की लाइन पर ग्रेचुटी की एक स्कीम लागू की जायेगी।

अवकाश प्राप्त करने के या सेवान्त ग्रेचुटी का अधिकारी होने की दशा से पूर्व 'बी' श्रेणी के कर्मचारी के 'ए' श्रेणी में पदोन्नत होने पर कर्मचारी को 'ए' श्रेणी में पेन्शन तथा अवकाश प्राप्त ग्रेचुटी के अन्तर्गत उसे लाभ दिये जाने के प्रयोजन के लिये उसकी 'बी' श्रेणी की सेवाओं का समय भी गिना जायेगा।

तटीय कर्मचारियों के मामले में जो पहले 'बी' श्रेणी में पदोन्नत किये जा चुके हैं या जिन्हें अब 'सी' से 'बी' श्रेणी में पदोन्नत किया जाय, 'सी' श्रेणी के कर्मचारियों की चार लगातार वर्षों से अधिक की पिछली सेवायें, इस स्कीम के अन्तर्गत ग्रेचुटी के लाभों के प्रयोजन के लिये वैसी ही गिनी जायेंगी मानों वे 'बी' श्रेणी की सेवायें थीं।

(7) चिकित्सा सुविधा और मकान :

समस्त बड़े पत्तनों में 'बी' श्रेणी के कर्मचारियों को 'ए' श्रेणी के समान सुविधायें मिलेंगी परन्तु चिकित्सा सहायता और मकान के लाभ के सम्बन्ध में 'ए' श्रेणी का दावा पहले होगा।

(8) 'ए' श्रेणी में पदोन्नति :

इसके बाद बम्बई, मद्रास, कोचीन और विशाखापत्तनम् पत्तनों में स्वाभाविक क्षति या अन्य कारणों की वजह से 'ए' श्रेणी में होने वाले सब रिक्त स्थान, 'बी' रजिस्टर में सर्वोच्च कर्मचारी के पदोन्नत द्वारा भरे जायेंगे। कलकत्ता पत्तन में 1 अक्टूबर, 1967 से उच्चता के अनुसार मौजूदा 'बी' श्रेणी के 520 कर्मचारी 'ए' श्रेणी में पदोन्नत किये जायेंगे किन्तु पदोन्नत किये जाने वाले कर्मचारी को आवश्यकता पड़ने पर दोनों स्थानों अर्थात् विभिन्न जेटियों और गोदियों में भी कार्य करना होगा। कलकत्ता में 'ए' श्रेणी में पदोन्नत किये जाने वाले कर्मचारियों में से बनाये जाने वाले दलों के गठन का काम कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर के लिये छोड़ दिया गया है।

(9) विशाखापत्तनम् पत्तन में ए 1 श्रेणी की समाप्ति :

विशाखापत्तनम् पत्तन में ए 1 श्रेणी का पदनाम समाप्त कर दिया जायेगा और ए 1 श्रेणी के कर्मचारी जिस दिन से उस श्रेणी में रखे गये हैं उस समय से 'ए' श्रेणी के स्थायी कर्मचारी माने जायेंगे और ए' श्रेणी के कर्मचारियों को मिलने वाले समस्त लाभ उन्हें दिये जायेंगे ।

(10) कलकत्ता पत्तन में 'बी' श्रेणी के कर्मचारियों के लिये मकान किराया भत्ता :

1 अक्टूबर, 1965 से कलकत्ता पत्तन के 'बी' श्रेणी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता बढ़ा कर 15 रुपये प्रति माह कर दिया जायेगा ।

(11) कलकत्ता पत्तन में 'बी' श्रेणी के कर्मचारियों के लिये वर्दी (यूनीफार्म) :

कलकत्ता पत्तन के 'बी' श्रेणी के तटीय कर्मचारियों को तीन वर्षों में एक बार एक ऊनी जर्सी दी जायेगी । पहली सप्लाई नवम्बर, 1967 में की जायेगी ।

(12) रोस्टर छुट्टी (आफ) :

जब 'बी' श्रेणी के कर्मचारी को जब कि सामान्यतौर पर इस श्रेणी के कर्मचारियों का बुकिंग बन्द होता है, किसी दिन छुट्टी दी जाती है और वह आराम के दिन के तुरन्त पहले छ दिनों की अवधि के बीच में पड़ती है तब उस दिन की अनुपस्थिति मजदूरी सहित रोस्टर छुट्टी (आफ) के हक के प्रयोजन के लिये विच्छेदक नहीं मानी जायेगी ।

(13) 'सी' श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में सिफारिशें :

(1) 'सी' श्रेणी में चार वर्षों की निरन्तर सेवाओं की पूर्ति पर, 'सी' श्रेणी के कर्मचारी स्वतः 'बी' श्रेणी में पदोन्नत हो जायेंगे और 'बी' श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा लाभों को प्राप्त करने लगेंगे । यह नियम कलकत्ता पत्तन पर लागू नहीं होगा ।

(2) कलकत्ता पत्तन के सिवाय, 'सी' श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या, 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणियों की पूर्ण संख्या की 15 प्रतिशत तक सीमित रहेगी ।

यदि सब योग्य 'सी' श्रेणी के कर्मचारियों को 'बी' श्रेणी में पदोन्नत करने के बाद 'सी' श्रेणी में बचे कर्मचारियों की संख्या, 'ए' 'बी' श्रेणियों की सम्पूर्ण संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक है तो यह बढ़ोतरी 'सी' श्रेणी में उस समय तक कायम रखी जायेगी जब तक सामान्यतया 'सी' श्रेणी की संख्या अपेक्षित स्तर तक नहीं आ जाती है ।

(3) चार वर्षों के बाद 'सी' श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा दशाओं, वेतन और रोजगार के प्रश्न का पुनर्विलोकन किया जायेगा ।

(4) जहां कहीं कर्मचारियों के लिये उपरोक्त वर्णित सेवा दशाओं से मौजूदा सेवा दशायें अधिक अच्छी और उपयुक्त है वहां मौजूदा सेवा दशायें लागू की जायेंगी ।

(5) भारत सरकार श्री सलीम एम० मर्चेंट को सौंपी हुई जांच के सम्बन्ध में उनके द्वारा किये गये कार्य की सराहना करती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संस्तोष की एक प्रतिलिपि संबद्ध हितों को प्रेषित कर दी जाये और इसे सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

ई० कोअेट,
भारत सरकार के संयुक्त सचिव ।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS,